

[Shri S. M. Banerjee]

seen stationed in Mynamati, on the Tripura border, and that these were the planes which had flown over Agartala airport? May I know whether it is a fact that in this area there is a concentration of Pakistani planes, if so, what steps have been taken by the Government?

Shri Y. B. Chavan: For this, I will certainly require notice. I cannot say whether these were the two planes, but two planes did fly; there is no doubt about that.

Shri S. M. Banerjee: I have got the press cutting.

Mr. Speaker: He says he requires notice.

Shri S. M. Banerjee: Not for this. The first question is whether these two jets which, according to the Minister, came into our territory and flew low, were stationed in Mynamati.

Mr. Speaker: That is exactly what he has answered, that he cannot say whether they were there before they flew over our territory.

Shri Hem Barua: Will you please direct him to make a statement after he collects this information.

Mr. Speaker: This information might be collected, if it can be done, whether there is concentration there and they came from there.

Shri Y. B. Chavan: That certainly we can do, but it is difficult to say from which place they came.

Shri Maheswar Naik (Mayurbhanj): It is only in recent memory that our Canberra was shot down when it flew over Pakistan for a minute or so. Why is it that our Government is so very lenient that we cannot shoot down the intruding planes even if they are over our territory for not more than two minutes?

Mr. Speaker: That answer has been given.

श्री यशपाल सिंह (कैराना): क्या मैं जान सकता हूँ कि त्रिपुरा की नाजुक हालत केको देखते हुए वहाँ हमारी सरकार ने कितनी एन्टी एयरक्राफ्ट गन्स का इन्तिजाम किया है जिससे आनन्दा यें घटनायें न हो सकें?

Shri Y. B. Chavan: In these matters, anti-aircraft gun is not the answer.

(ii) ALLEGED HARRASSMENT TO THE PUBLIC BY THE POLICE IN DELHI ON THE 26TH AUGUST, 1963

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :-

‘२६ अगस्त, १९६३ को दिल्ली में पुलिस द्वारा यातायात नियमों को अचानक और कड़ाई से लागू करने के कारण जनता को बर्ष परेशानी।’

The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): May I read it in English or in Hindi?

अध्यक्ष महोदय: आप अंग्रेजी में पढ़ें और उस के बाद कृपया हिन्दी में भी बतला दें।

श्री राम सेवक यादव: मंत्री महोदय के पास हिन्दी में भी लिखा हुआ दस्तावेज भी मौजूद है। इसलिए वे हिन्दी में ही कह दें।

श्री लाल बहादुर शास्त्री: यातायात के नियम और विनियम सुचारू रूप से पालन किये जायें इस हेतु दिल्ली प्रशासन ने २६-८-१९६३ को एक विशेष कार्यक्रम रखा। इस प्रकार की कार्यवाही पहले भी चलायी गई है, जो सम्भवतः इतनी तीव्र नहीं थी। इस सम्बन्ध में १६ mobile courts कार्य कर रहे थे। दिन भर में १४२० मामले दर्ज हुए, जिनमें से १३८२

(मामलों) में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया गया। ३८ मामलों में उजर पेश किये गये, जिनके लिये सम्बन्धित मैजिस्ट्रेटों द्वारा अलग अलग तारीख लगाई जायेंगी। कुल १८,७५६ रुपये के जुर्माने किये गये तथा १७,७१४ रुपये वसूल किये गये। जो लोग तत्काल जुर्माना अदा नहीं कर सके, उन्हें वैयक्तिक जमानात पर छोड़ दिया गया।

जुर्माने अदालतों द्वारा लगाये गये और अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के अधीन चारार्थों का हमेशा अधिकार है। उन सभी व्यक्तियों ने, जिनके मामले तत्काल ही निपटाये गये थे, यह स्वीकार किया कि उन्होंने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया था।

चीफ कमिश्नर, दिल्ली की अध्यक्षता में बनी कमेटी जिसके सदस्य कई सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति थे, ने भी यातायात के सभी नियमों तथा नियन्त्रक उपायों को कड़े रूप में पालन करने की सिफारिश की है। इस समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमों को कड़े रूप में पालन कराने का अच्छा उपाय यह होगा कि यातायात के खास खास केन्द्रों पर मोबाइल कोर्ट्स स्थापित किये जायें तथा जुर्माना तत्काल ही वसूल किया जाये। मुझे विश्वास है, कि गम्भीर दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात को सुचारू रूप में रखने के हेतु मदन इस बात पर सहमत होगा, कि यातायात के नियम और विनियम पूरी तरह लागू किये जायें।

[The Delhi Administration launched a special drive on 26th August, 1963 to ensure observance of traffic rules and regulations. Such drives have been carried out in the past though perhaps with not the same intensity. 16 mobile courts were in operation as part of this drive. 1420 cases were instituted during the day, of which 1382 resulted in conviction. 38 cases were contested for which separate dates will be fixed by the concerned Magistrates. Rs. 18,756 was

the total value of the fines imposed and Rs. 16,714 were realised. Those persons who could not pay the fine on the spot were released on personal bonds.

It should be recalled that the fines were imposed by properly constituted courts. The remedies available in law are always open to the accused persons. All those persons whose cases were disposed of on the spot accepted that they had not complied with the traffic rules.

The Traffic Committee, with the Chief Commissioner, Delhi, as its chairman, and several official and non-official members as its members, has also recommended vigorous enforcement of all regulatory measures and traffic laws. This Committee also emphasised that the best way of enforcing the rules firmly was to establish mobile courts at principal traffic points and to realise fines on the spot. In order to prevent serious accidents and to ensure free flow of traffic, I am sure the House will agree that the traffic laws and regulations should be strictly enforced.]

श्री राम सेवक यादव : क्या यह सही है कि पुलिस के सिपाहियों ने दो व्यक्तियों को बुरी तरह से मारा ? क्या ऐसे भी साइकिल सवारों का चालान किया गया जिनके पास दिन में रोशनी का इंतजाम नहीं था ? तीसरी बात यह है कि क्या ऐसे पदयात्रियों का भी चालान पुलिस द्वारा किया गया जोकि लड़क पार कर रहे थे और वहां नजदीक कोई लालिग नहीं था और ऐसे लोगों का अगर चालान किया गया तो कितने लोगों का किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : अभी जो जवाब दिया गया उस के बाद माननीय सदस्य द्वारा किये गये सवाल के कई हिस्से ऐसे हैं जोकि उचित नहीं हैं। अभी होम मिनिस्टर ने कहा कि जिनका चालान किया गया उन्होंने कबूल किया कि उनसे नियमों व कानून का उल्लंघन

[अध्यक्ष महोदय]

हुआ है जबकि आप कहते हैं कि जो बेगुनाह थे उनका चालान कर दिया गया और जो दिन में बत्ती नहीं रखते थे ऐसे साइकिलसवारों का भी चालान कर दिया गया। अब इस का क्या जवाब दिया जाय ?

श्री राम सैबक यादव : मैंने जो प्रश्न किया है वह अखबार में आया है कि दो आदमियों को बुरी तरह से पीटा गया। बत्ती वाली भी शिकायत है और क्रीसिंग की भी शिकायत उसमें छपी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह शिकायतें कहाँ तक सही हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे पूरे व्योरे की जानकारी तो है नहीं कि किन का चालान हुआ और किन का नहीं हुआ। अगर साइकिल में दिन को बत्ती नहीं लगी हुई है, मैं नहीं जानता कि उस के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं हुई, लेकिन एग्जीक्यूटिव द्वारा उस का यह अर्थ निकाला जा सकता है कि वह शाम को भी नहीं लगाता है। अब हर वक्त आदमी लैप अपनी जब में तो रखता नहीं है कि जहाँ शाम हुई उसने झट से निकाल कर अपनी साइकिल में लगा लिया . . .

अध्यक्ष महोदय : लेकिन दिन को अगर उसने अपनी साइकिल में लैम्प न लगाया हो तो इसके लिए उसका चालान तो नहीं हो सकता ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चालान नहीं हो सकता लेकिन एग्जीक्यूटिव द्वारा ऐसे इनफ्रेंस निकाला जा सकता है कि जिसने दिन को अपनी साइकिल में लैम्प नहीं लगाया हुआ है वह शायद रात को भी नहीं लगायेगा। मैं तो नहीं जानता आप जज रहे हैं, लिहाजा आप इस के कानूनी पहलू को अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर एग्जीक्यूटिव जिस ढंग

से काम करती है, सरकारी प्रशासन इसका वैसा अर्थ निकाल सकता है। यह दूसरी बात है कि उस पर कार्यवाही हो या न हो लेकिन गवर्नमेंट के कर्मचारी जरूर इस बात को ले सकते हैं कि जिस आदमी के पास लैम्प है ही नहीं वह रात को कहां से एकदम से ले आयेगा और यह कि वह रात को भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन दिन में बत्ती न रखने के लिए उन पर कोई कार्यवाही हुई इस की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि समाचारपत्रों ने जिस रूप में इस चीज को पेश किया है मुझ उससे थोड़ा अफसोस हुआ है और मैं समझता हूँ कि उसके मानी यह है कि हम दिल्ली शहर में ट्रैफिक रैगुलेशंस का कड़ाई और मजबूती से पालन करा ही नहीं सकते हैं।

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether it is a fact that this drastic action was taken by the police authorities even without a week's warning, and this was done purely in**.

Mr. Speaker: What is that ** ** ? Is this the manner of putting a question, a supplementary question, by a seasoned Parliamentarian? He should come straight to the supplementary question.

Shri S. M. Banerjee: May I submit that * * * * is not unparliamentary?

Mr. Speaker: I do not allow that. That would be expunged.

Shri Ranga (Chittoor): There is nothing there to be expunged.

Mr. Speaker: Cannot he say, "in an arbitrary manner"? That is not the way to put a question.

Shri Ranga: It is not an abusive thing.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): **

Shri Hem Barua: Is it wrong to quote history, Sir? ** **

Mr. Speaker: Why should he bring in certain things which are not necessary? He might put a supplementary straight.

Shri S. M. Banerjee: My supplementary question is this. The police authorities did not give even a week's notice, and a fine has been imposed by the magistrates on cycle-walas, scooter-walas, taxi-walas and on private car-owners and the fines ranged from Rs. 3 to Rs. 100. So, may I know whether the Government propose to institute an enquiry into the excesses and harassment committed caused by the police authorities in the name of these traffic regulations?

Shri Thirumala Rao (Kakinada): On a point of order. Can these points be raised on the floor of the House when the cases are pending before the courts?

Mr. Speaker: They have been decided. No case is pending.

Shri Lal Bahadur Shastri: As far as I am aware, publicity was given in the newspapers that this kind of drive would take place on such and such a date—

Shri S. M. Banerjee: How many days' notice?

Shri Lal Bahadur Shastri: Even a few days before. But besides that, I might inform the hon. Member that the police has been going round in jeeps and announcing through loud-speakers about the traffic rules and observation of the rules by those who drive vehicles and also the pedestrians and we have been carrying on this propaganda..

Shri S. M. Banerjee: Please hold an enquiry.

Shri Lal Bahadur Shastri: Let me complete my point. Either the hon. Member should speak or I should speak. I know it for a fact, and in fact I have received letters from the citizens of Delhi greatly appreciating this kind of education which was carried on by the police. In the circumstances, when this drive was to take place or when it was ordered, it was enough that a few days before, some publicity was given, and generally also everybody is expected to observe the rules.

श्री गुलशन (भटिंडा) : क्या मैं जान सकता हूँ कि सड़क तथा यातायात नियमों का जनता द्वारा पालन न करने पर उनको दंडित किया जायेगा और जुर्माने किये जायेगे, इसके लिए क्या जनता को पहले से सचेत किया गया था या पुलिस ने अचानक ही एकदम से उन पर हमला कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बताया जा चुका है ।

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: Shri Kapur Singh .

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Sir, along with Shri Banerjee and others I had also given notice.

Mr. Speaker: I have not got his name.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): May I know whether the Government are aware of two general public complaints in relation to this rickshaw-scooter gentry, namely, (i) that they charge fares in each case as they please in the absence of fare meters, and (ii) they refuse to take a passenger to a destination which is not of their own choice; if so, whether the Government will bear these facts in mind when making a final settlement of this dispute?

Mr. Speaker: That is not a dispute and that does not concern this.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स को एन्फोर्स करने के लिए जो कैम्पेयन चला रखा है, वह कितनी देर तक रहेगा। क्या इस के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : रूल्स तो हमेशा जारी रहेंगे।

पेपर्स टु बि लेड आन दि टेबल।

12.22 hrs.

RE: ALLEGED INCORRECT STATEMENT MADE IN THE HOUSE

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के आदेश ११५ के अनुसार मैं कल के प्रदोत्तर काल में मंत्री द्वारा की गई गलतबयानी की आज सफाई कराना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि उसके बारे में आप को इत्तिला दे दी गई है या नहीं। आप की चिट्ठी मुझे मिली है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर ११५ के नीचे कोई माननीय सदस्य मुझे लिखेंगे, तो पहले मैं उस को मिनिस्टर को भजूंगा और उन का जवाब ले कर पीछे उस के बारे में फंसला करूंगा। मैंने आप की चिट्ठी को मिनिस्टर के पास उन के जवाब के लिए भेजा है। उस को आने दीजिए। इस तरह से आप कार्यवाही में दखल न दीजिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मुझ एक निजी सफाई देनी है, क्योंकि मंत्री ने हून लोगों को बर्इमान भी बताया है, जिन्होंने भुखमरी की खबरें दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप का अवसर मिलेगा, तब आप कहिएगा। मुझ पता तो लगाने दीजिए कि उस के सम्बन्ध में उन्होंने क्या कहना है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, बर्इमानी और भुखमरी सेबहुत . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब आप और चीजें न उठायें। आप ने मुझे लिखा है और मैंने आप को बता दिया है कि मैंने आप की चिट्ठी को मिनिस्टर के जबाब के लिए भजा है। आप को इत्तिला भी दे दी गई है : क्या मुझे रोज कहना होगा कि आप इस तरह ये बातें न उठाया करें ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का हुकम बहुत ज्यादा मान रहा हूँ और अब भी मानता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भुखमरी के साथ साथ बर्इमानी को जोड़ देना किसी मंत्री को शोभा नहीं देता। यहां पर कल . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि मैं हुकम मान रहा हूँ और मेरे हुकम के बर खिलाफ बोले भी जा रहे हैं।

पेपर्स टु बि लेड आन दी टेबल।

12.23 hrs.

**PAPERS LAID ON THE TABLE
MINERAL CONCESSION RULES**

The Minister of Mines and Fuel (Shri Alagesan) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Rules under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957:—

- (i) The Mineral Concession (Fifth Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1214 dated the 20th July, 1963.
- (ii) The Mineral Concession (Sixth Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1243 dated the 27th July, 1963.
- (iii) The Mineral Concession (Seventh Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1278 dated the 3rd August, 1963.

[Placed in Library, See No. LT-1579/63].